राजस्व विभाग

युद्ध जागीर पुरस्कार

दिनांक 30 जून, 1993

क्रमांक 1503-ज-2-93/12075.—श्री दिवान सिंह पुत्र श्री मिहां सिंह, निवासी गांव जूंग माजरा, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) केअधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 800-आर-4-68/992, दिनांक 7 मार्च, 1968 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री दिवान सिंह की दिनांक 5 सितम्बर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जागीर को श्री दिवान सिंह की विधवा श्रीमती किरण कौर के नाम रबी, 1993 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तब्दील करते हैं ।

क्रमांक 1602-ज-2-93/12079.—श्री बलदेव सिंह, पुत्र श्री बख्तावर सिंह, निवासी गांव गौरावड़, तहसील गोहाना, जिला रोहतक को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9726-जे. एस.-III-65/7406, दिनांक 22 अक्तूबर, 1965 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री बलदेव सिंह की दिनांक 26 जनवरी, 1992 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है, और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री बलदेव सिंह की विधवा श्रीमती पनमेश्वरी देवी के नाम खरीफ, 1992 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तब्दील करते हैं ।

दिनांक 5 जुलाई, 1993

क्रमांक 1207-ज-2-93/12319.—श्री राम रक्खामल, पुत्र श्री काहन दास, निवासी मकान नं० 548, माडल कालोनी, यमुनानगर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला अब यमुनानगर की पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 501-आर-4-67/1026, दिनांक 11 अप्रैल, 1967 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-1-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री राम रक्खामल की दिनांक 12 अक्तूबर, 1992 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री राम रक्खामल की विधवा श्रीमती लतभराई के नाम खरीफ, 1993 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तब्दील करते हैं ।

आर० एल० चावला,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।